भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ

(भाग–I, खण्ड–I)

भारत सरकार

वणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 17/2015–2020

नई दिल्लीः दिनांक 04 जून, 2015

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार परिवर्ती व्यवस्था को सरल बनाने के लिए, एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 की प्रक्रिया पुस्तक में संशोधन को अधिसूचित करते हैं। यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से लागू माना जाएगा।

1.पैरा 1.05 में संशोधन

संशोधित पैरा 1.05 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा

1.05 प्रकिया

(क) निर्यातक डी जी एफ टी की वेबसाइट http://dgft.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन को प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा। आवेदन की प्रकिया ऑनलाइन की जाएगी। डी जी एफ टी कमी संबंधी पत्र , यदि कोई हो, ऑनलाइन तरीके से अथवा ई–मेल द्वारा जारी करेगा। मेन्युअल तरीके से डी जी एफ टी द्वारा कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

(ख) परिवर्ती व्यवस्था के उपाय के रूप मे, निम्नलिखित श्रेणी के आवेदन के लिए निर्यातक जब तक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार न हो जाए अथवा 30 सितम्बर, 2015 तक इनमें से जो भी पहले हो, मैन्युअल रूप से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(i) पैरा 3.19 के तहत ए एन एफ 3 ग में स्तर धारक प्रामणपत्र के लिए आवेदन

(ii) पैरा 4.47 के तहत ए एन एफ 4 च में बंधन छूट के लिए आवेदन

(iii) पैरा 4.49 के तहत ए एन एफ 4 झ में नामित एजेंसी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

1. पैरा 3.19 (क) में संशोधन

संशोधित पैरा 3.19 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

''स्तर प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए आवेदन

(क) विदेश व्यापार नीति 2009–2014 के तहत आई ई सी धारक को जारी किये गए स्तर प्रमाणपत्र दिनांक 30 सितंबर, 2015 तक अथवा विदेश व्यापार नीति 2015–20 के तहत ऐसे आई ई सी धारक को स्तर प्रमाणपत्र जारी करने तक वैध रहेंगे, इनमें से जो भी पहले हो।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः– आवेदनों को भरने के संबंध में परिवर्ती व्यवस्था को सरल बनाने और स्तर धारक प्रमाण पत्र की वैधता हेतू विदेश व्यापार नीति 2015–2020 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधन को अधिसूचित कर दिया गया है। यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से लागू माना जाएगा।

(प्रवीर कुमार)

महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/64/180/333/ए एम 15/पी सी–4 से जारी)